संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 3681-अ/वि.यो./नग्रानि/94

भोपाल , दिनांक 30 -8-94

सूचना

मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भोपाल निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन कर सर्वसाधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित किया गया तथा प्राप्त आपत्ति/सुझावों की उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिन्होंने कि आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत किये हैं, सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देकर ऐसे उपांतरण कर लिये गये हैं, जिन्हें वांछनीय समझा गया है।

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन भोपाल निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 30-8-94 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 30-8-94 से 13-9-94 तक संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय में कार्यकारी दिवसों में, कार्यालयीन समय में, सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे।

पी. व्ही. देशपांडे,
संचालक.